भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1614**
उत्तर देने की तारीख 10.03.2025

**गरबा का संरक्षण और संवर्धन**

**1614. श्रीमती पूनमबेन माडम :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए वर्ष 2003 की संधि के प्रावधानों के तहत यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की प्रतीकात्मक सूची में अंकित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या आने वाले वर्षों में यूनेस्को की आईसीएच सूची में नामांकन के लिए किसी अन्य भारतीय सांस्कृतिक तत्वों पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और संगठनों के माध्यम से गरबा सहित देश की विस्तृत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संपूर्ण रूप में परिरक्षित और संवर्धित करने के लिए कार्य कर रही है।

(ग) और (घ): दिसम्बर, 2023 में 'गुजरात का गरबा' को कसाने, बोत्सवाना में 4 से 9 दिसम्बर, 2023 तक आयोजित अंतर-सरकारी समिति के दौरान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की

संरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत, यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था।

(ड.) और (च): वर्ष 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की प्रतिनिधि सूची में अंकित किए जाने हेतु भारत की ओर से ''दीपावली'' को नामित किया गया है।

*****